

The Equal Remuneration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017 Act 17 of 2018

Keyword(s): Equal Remuneration, Payment of Wages, Offence

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1. खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 फरवरी, 2018

माघ 12, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 241 / 79-वि-1–18-1(क)13-2017 लखनऊ, 1 फरवरी, 2018

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 12 जनवरी, 2018 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1—(1) यह अधिनियम समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा संक्षिप्त नाम और जायेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 25 सन् 1976 की धारा 11-क का बढ़ाया जाना 2—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"11-क(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध का शमन, जो अपराधों का शमन केवल जुर्माना से या एक मास तक कारावास से या दोनों

से, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सिहत शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगाः

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।
- (3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथाविहित प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जायेगा।
- (4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।
- (5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।"

उददेश्य और कारण

मजदूरी तथा अन्य परिलब्धियों के संदाय में लिंग आधारित विभेद को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया है।

विगत एक दशक से न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने के लिए और लम्बित वादों की संख्या में कमी करने के लिये लघु अपराधों के शमन हेतु उपबंध पुरःस्थापित करने के लिए माँग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से सम्यक विचार-विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप जुर्माने का पचास प्रतिशत संदाय करने पर प्रथम अपराध का शमन किया जाय।

तद्नुसार समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है। आज्ञा से, वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 241(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)13-2017

Dated Lucknow, February 1, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Saman Parishramik (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and Assented to by the President on January 12, 2018;—

THE EQUAL REMUNERATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act no. 17 of 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Equal Remuneration Act, 1976 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

- 1. (1) This Act may be called the Equal Remuneration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of section 11-A of Act no. 25 of 1976 2. After section 11 of the Equal Remuneration Act, 1976 the following section shall be *inserted*, namely:-

"11-A (1) Any offence punishable under this Act with fine only or with Composition of imprisonment up to one month or with both shall be compounded on the application of accused before or after institution of prosecution by a competent authority notified by the State Government, after imposing 50% of the fine for the offence as compounding fee along with the prescribed fine:

Provided that remedy for compounding shall be available for the first offence only.

- (2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence, subject to direction, control and supervision of the State Government.
- (3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.
- (4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.
- (5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Equal Remuneration Act, 1976 has been enacted by the Central Government with the object of eliminating the gender based discrimination in payment of wages and other emoluments.

From last decade there has been a growing demand for the introduction of provisions for compounding of small offences in order to avoid unnecessary litigation and to reduce the number of cases pending in courts. After due consideration and consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to compound the first offence on payment of fifty per cent of the fine as compounding fee along with prescribed fine for the offence under the said Act.

The Equal Remuneration (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order, VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ८५९ राजपत्र-२०१८-(२६५६)-५९९ प्रतियां-(कम्प्यु०/टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १७२ सा० विधायी-२-२-२०१८-(२६५७)-३०० प्रतियां-(कम्प्यु०/टी०/आफसेट)।